अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF
MINORITY AFFAIRS
सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक
विकास एवं वित्त निगम
National Minorities Development
& Finance Corporation

एनएमडीएफसी

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

गरिमामयी विकास

एनएमडीएफसी

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की स्थापना **30 सितंबर, 1994** को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत "लाभ न कमाने वाली कंपनी" के रूप में हुई थी। अब यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन कार्यरत है। एनएमडीएफसी का मुख्य उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के "पिछड़े वर्गों" को स्व-रोजगार की आय अर्जन गतिविधियों के लिए रियायती दर पर वित्त प्रदान करना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुसार, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं। एनएमडीएफसी के ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत दस्तकारों तथा महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाती है।

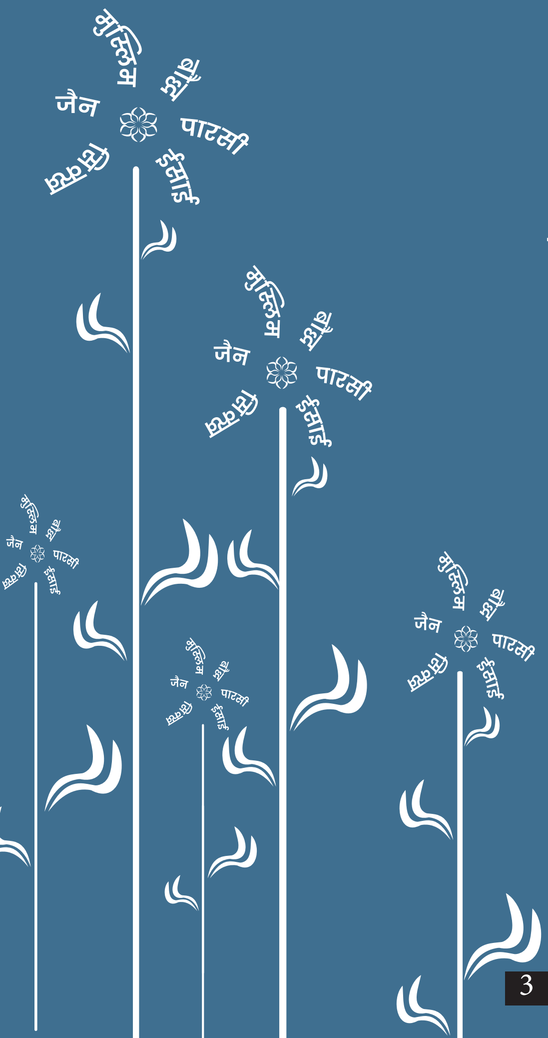

लक्षित समूह

क्रेडिट लाइन 1:

एनएमडीएफसी की योजनाओं के तहत 3.00 लाख रु. की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति ऋण लेने के पात्र है।

क्रेडिट लाइन 2:

एनएमडीएफसी की योजनाओं के तहत ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को अपनी योजनाओं के दायरे में लाने के लिए 8.00 लाख रु. तक की सालाना पारिवारिक आय सीमा भी उपलब्ध है।

लक्षित समूहों तक पहुंचने के माध्यम

एनएमडीएफसी, राष्ट्रीय स्तर का ऋण प्रदान करने वाला शीर्ष निकाय है। इसके पास लक्षित समूहों तक पहुँचने के तीन माध्यम है:

क. एससीए

संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से।

ख. एनजीओ

गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से।

ग. पीएसबी

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) (केनरा बैंक/पंजाब ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक) के माध्यम से।

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ (एससीए)

एनएमडीएफसी की योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ (एससीए) मुख्य माध्यम हैं। एनएनडीएफसी की सावधि ऋण, विरासत ऋण, शिक्षा ऋण और सूक्ष्म वित्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से वैयक्तिक लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को नामित किया जाता है। ऋण सहायता के लिए कृपया आप अपने राज्य के एससीए के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। एससीए के पते एवं उनके संपर्क नंबरों की सूची पृष्ठ सं. 14 से 18 पर उपलब्ध है। मिलान पोर्टल के माध्यम से भी ऋण का आवेदन किया जा सकता है। मिलान पोर्टल के लिंक के लिए कृपया एनएमडीएफसी की वेबसाइट www.nmdfc.org पर जाएं।

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)

गरीब लाभार्थी जो कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्य होते हैं, तक पहुंचने के लिए पहचान किए गए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सेवाएं भी ली जाती है। गैर-सरकारी संगठन को तीन वर्ष से ज्यादा पुराना, अराजनैतिक, वित्तीय रूप से मजबूत एवं सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में काम करने के साथ-साथ एनजीओ के पास उधार एवं ऋण देने का कम से कम एक साल का अनुभव होना चाहिए। एनजीओ को ठोस गारंटी के बदले में निधियाँ जारी की जाती है।

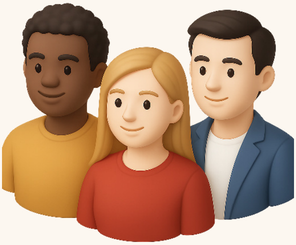

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)

वर्तमान में एनएमडीएफसी की योजना ' पुनर्वित माध्यम ' से देश भर में स्थित केनरा बैंक व पंजाब ग्रामीण बैंक की शाखाओं के माध्यम से भी कार्यान्वित की जा रही है (केनरा बैंक के संदर्भ में परिपत्र संख्या 587/2021)। एनएमडीएफसी ने इंडियन बैंक व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी एनएमडीएफसी की योजना पुनर्वित माध्यम से देश भर में लागू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनएमडीएफसी की योजनाएँ एवं कार्यक्रम

ऋण योजनाएँ

- सावधि ऋण योजना
- शिक्षा ऋण योजना
- सूक्ष्म वित्तपोषण योजना
- विरासत योजना

संवर्धनात्मक योजनाएँ

- मार्केटिंग सहायता योजना
- जागरूकता शिविर-सह-ऋण मेला

सावधि ऋण योजना

अधिकतम ऋण राशि

₹ 30लाख

पुनर्भुगतान अवधि

5 वर्ष

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है और एससीए के माध्यम से तथा वर्तमान में केनरा बैंक व पंजाब ग्रामीण बैंक के माध्यम से पुनर्वित माध्यम के तहत कार्यान्वित की जाती है। सावधि ऋण योजना में 30.00 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। एनएमडीएफसी द्वारा परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 27.00 लाख रु. है। परियोजना की बाकी लागत को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी / बैंक तथा लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। हालांकि, लाभार्थी को परियोजना लागत का कम से कम 5 प्रतिशत देना लाजिमी होता है। क्रेडिट लाइन-1 के तहत लाभार्थी से लिए जाने वाले ब्याज की दर घटते हुए शेष पर 6 प्रतिशत सालाना का साधारण ब्याज और क्रेडिट लाइन-2 के तहत सालाना 8 प्रतिशत तक का ब्याज लिया जाता है। क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को 2 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

सावधि ऋण योजना के अधीन किसी भी प्रकार के व्यावसायिक रुप से व्यवहार्य एवं तकनीकी दृष्टि से किए जाने वाले कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध है। इन कार्यों को सुविधा के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेणीबद्ध किया गया है:

क) खेती एवं उससे जुडे कार्य
ख) तकनीकी व्यापार
ग) छोटे व्यवसाय
घ) कारीगर एवं परंपरागत व्यवसाय,
ङ) परिवहन एवं सेवा क्षेत्र

मापदंड	क्रेडिट लाइन-1 के तहत	क्रेडिट लाइन-2 के तहत
ऋण राशि	20.00 लाख रु.तक	30.00 लाख रु.तक
लाभार्थियों के लिए ब्याज दर	6% वार्षिक	पुरुष: 8% वार्षिक, महिला: 6% वार्षिक
ऋणस्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड)	6 महीने	6 महीने
लाभार्थियों के लिए ऋण वापस करने की अवधि	5 वर्ष	5 वर्ष
ऋण देने का पैटर्न (एनएमडीएफसी: एससीए / बैंक: लाभार्थी का अंशदान)	90:5:5	90:5:5

शिक्षा ऋण योजना

अधिकतम ऋण राशि

₹ 30लाख

पुनर्भुगतान अवधि

5 वर्ष

यह योजना भी वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है। अल्पसंख्यक समुदाय के योग्य व्यक्तियों को रोजगारन्मुख शिक्षा देने के उद्देश्य से एनएमडीएफसी द्वारा शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अधीन 'व्यावसायिक व तकनीकी कोर्सों' के लिए जोकि 5 वर्ष की अवधि से ज्यादा के न हों सालाना 4.00 लाख रु. की दर से अधिकतम 20.00 लाख रु. का ऋण उपलब्ध है। इसके अलावा, विदेश में पढ़ने वाले कोर्सों के लिए जोकि 5 वर्ष की अवधि से ज्यादा के न हों सालाना 6.00 लाख रु. की दर से अधिकतम 30.00 लाख रु. का ऋण उपलब्ध है। क्रेडिट लाइन-1 के तहत 3 प्रतिशत सालाना ब्याज दर और क्रेडिट लाइन-2 के तहत महिला लाभार्थियों को ब्याज में 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की छूट के साथ सालाना 8 प्रतिशत का ब्याज लिया जाता है। कोर्स पूरा होने के बाद, ऋण को अधिकतम पाँच वर्षों में वापस करना होता है।

मापदंड	क्रेडिट लाइन-1 के तहत	क्रेडिट लाइन-2 के तहत
ऋण राशि इस प्रकार है:-	प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण राशि इस प्रकार है:- भारत में 5 वर्ष की अधिकतम अवधि वाले व्यवसायिक और रोजगारपरक कोर्सों के लिए सालाना 4.00 लाख रु. की दर से 20.00 लाख रु. तक। 5 वर्ष की अधिकतम अवधि वाले 'विदेश में पढ़ने वाले कोर्सों' के लिए सालाना 6.00 लाख रु. की दर से 30.00 लाख रु. तक।	प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण राशि: भारत में 5 वर्ष की अधिकतम अवधि वाले व्यवसायिक और रोजगारपरक कोर्सों के लिए सालाना 4.00 लाख रु. की दर से 20.00 लाख रु. तक। 5 वर्ष की अधिकतम अवधि वाले 'विदेश में पढ़ने वाले कोर्सों' के लिए सालाना 6.00 लाख रु. की दर से 30.00 लाख रु. तक।
लाभार्थियों के लिए ब्याज दर	3% वार्षिक	पुरुष लाभार्थियों के लिए 8% वार्षिक महिला लाभार्थियों के लिए 5% वार्षिक
ऋणस्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड)	कोर्स के पूरा होने के 6 महीने के बाद या रोजगार मिलने के बाद, जो भी पहले हो।	कोर्स के पूरा होने के 6 महीने के बाद या रोजगार मिलने के बाद, जो भी पहले हो।
लाभार्थियों के लिए ऋण वापस करने की अवधि	5 वर्ष	5 वर्ष
ऋण देने का पैटर्न (एनएमडीएफसी: एससीए/ बैंक: लाभार्थी का अंशदान)	90:5:5	90:5:5

सूक्ष्म वित्तपोषण योजना

अधिकतम ऋण राशि

₹ 30 लाख

पुनर्भुगतान अवधि

3 वर्ष

सूक्ष्म वित्तपोषण योजना के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को विशेषकर, दूर-दराज के गांव और शहरों की आर्थिक रूप से कमजोर बस्तियों में जीवनयापन कर रहीं अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सूक्ष्म ऋण दिया जाता है, जो बैंकों से ऋण नहीं ले पाती है। इस योजना में यह आशा की जाती है कि लाभार्थी पहले तो स्वयं सहायता समूहों का सदस्य बने। उसके बाद, नियमित बचत करने की आदत बनाएं चाहे यह बचत छोटी ही क्यों न हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत संबंधित राज्यों के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत गठित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को वरीयता दी जाएगी।
इस योजना के अधीन मुख्यतः एससीए द्वारा तथा अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले गैर-सरकारी संगठनों और उनके स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के नेटवर्क के माध्यम से सबसे गरीब लोगों को ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण के लिए कम से कम दस्तावेज़ देने होते हैं। इस योजना में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के हर सदस्य को अधिकतम 1.50 लाख रु. तक के छोटे-छोटे ऋण दिए जाते हैं। क्रेडिट लाइन-1 के तहत 7 प्रतिशत सालाना ब्याज और क्रेडिट लाइन-2 के तहत 10 प्रतिशत सालाना ब्याज लिया जाता है तथा महिला लाभार्थियों को क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत प्रति वर्ष सालाना ब्याज में 2 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत ऋण वापस करने की अधिकतम अवधि 36 महीने है।

मापदंड	क्रेडिट लाइन-1 के तहत	क्रेडिट लाइन-2 के तहत
ऋण राशि	20.00 लाख रु. तक एक एसएचजी के 20 सदस्यों के समूह का ऋण और स्वयं सहायता समूह के हर सदस्य को 1.00 लाख रु. तक का ऋण	एक एसएचजी के 20 सदस्यों के समूह को 30.00 लाख रु. तक का ऋण और स्वयं सहायता समूह के हर सदस्य को 1.50 लाख रु. तक का ऋण
लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज दर	7% वार्षिक	पुरुष लाभार्थियों के लिए 10% वार्षिक महिला लाभार्थियों के लिए 8% वार्षिक
ऋणस्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड)	3 महीने	3 महीने
लाभार्थियों के लिए ऋण वापस करने की अवधि	3 वर्ष	3 वर्ष
ऋण देने का पैटर्न (एनएमडीएफसी: एससीए/ बैंक: लाभार्थी का अंशदान)	90:5:5	90:5:5

विरासत योजना

अधिकतम ऋण राशि

₹ 10 लाख

पुनर्भुगतान अवधि

5 वर्ष

यह योजना सावधि ऋण योजना का हिस्सा है। कार्यशील पूंजी और उपकरण / औजार/ मशीनरी की खरीद के लिए निश्चित पूंजी की आवश्यकता के लिए कारीगरों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से इस योजना का कार्यान्वयन किया गया है। क्रेडिट लाइन-1 के तहत महिला कारीगर को 1 प्रतिशत की रियायत के साथ 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर तथा पुरुष कारीगर के लिए 5 प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर अधिकतम 10.00 लाख रु. तक का ऋण दिया जा सकता है। क्रेडिट लाइन-2 के तहत महिला कारीगर को 1 प्रतिशत की रियायत के साथ 5 प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर तथा पुरुष कारीगर के लिए 6 प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर अधिकतम 10.00 लाख रु. तक का ऋण दिया जा सकता है।

मापदंड	क्रेडिट लाईन 1	क्रेडिट लाइन-2 के तहत
ऋण राशि	10.00 लाख रु.तक	10.00 लाख रु.तक
कारीगरों के लिए ब्याज की दर	पुरुष कारीगरों के लिए 5% वार्षिक महिला कारीगरों के लिए 4% वार्षिक	पुरुष कारीगरों के लिए 6% वार्षिक महिला कारीगरों के लिए 5% वार्षिक
ऋणस्थगन अवधि (मोरेटोरियम अवधि)	6 महीने	6 महीने
कारीगरों के लिए ऋण वापस करने की अवधि	5 वर्ष	5 वर्ष
ऋण देने का पैटर्न (एनएमडीएफसी: एससीए: कारीगर का अंशदान)	90:5:5 (कारीगरों का कम से कम 5% अंशदान)	90:5:5

मार्केटिंग सहायता योजना

मार्केटिंग सहायता योजना वैयक्तिक कारीगरों, एनएमडीएफसी के लाभार्थियों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों के लिए है और इस योजना को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों को उनके उत्पादों की मार्केटिंग करना है ताकि कारीगरों को लाभकारी कीमतों पर अपने उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। एनएमडीएफसी, चयनित स्थानों पर राज्य/जिला स्तरीय प्रदर्शनियों के आयोजन में एससीए की मदद करती है। इन प्रदर्शनियों में अल्पसंख्यक वर्ग के कारीगरों के द्वारा निर्मित हथकरघा / हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ खरीददार और बेचने वालों के बीच घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात के लिए उत्पाद के विकास और बाजार के संवर्धन के लिए बहुत उपयोगी साबित होती हैं।

जागरूकता शिविर-सह-ऋण मेला

लक्षित समूहों के बीच एनएमडीएफसी की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एससीए द्वारा अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों, विशेषकर, दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता शिविरों-सह-ऋण मेलों का आयोजन किया जाता है। ऐसे शिविरों में, भाग लेने आए लोगों को एनएमडीएफसी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है और आवेदन पत्रों को भरने में भी उनकी मदद की जाती है। इसके अलावा, इन शिविरों में भरे हुए आवेदनों की आगे जाँच करने के लिए आवेदनों को एकत्रित किया जाता है तथा पहले से चयनित लाभार्थियों को ऋण भी बांटा जाता है। एनएमडीएफसी की योजनाओं के तहत ऋण लेने को प्रेरित करने के लिए, इन शिविरों में आए लोगों को पूर्व लाभार्थियों की सफलता की कहानियाँ भी दिखाई जाती हैं।

एनएमडीएफसी के तहत ऋण लेने के दिशा-निर्देश

क. ऋण स्वीकृति के लिए

1.

(क). आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय/संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के प्रधान कार्यालय/केनरा बैंक/पंजाब ग्रामीण बैंक की शाखा (पुनर्वित के माध्यम से) में उपलब्ध है। आवेदक मिलान पोर्टल के माध्यम से भी एनएमडीएफसी ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मिलान पोर्टल के लिंक के लिए एनएमडीएफसी की वेबसाइट यानी कि www.nmdfc.org पर जाएं।

(ख) *आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित कागजातों को जमा कराना होता है-*

I. स्वयं सत्यापित निवास प्रमाणपत्र का सबूत जैसे आधार कार्ड/ राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ फोन बिल / बिजली का बिल इत्यादि।
II. स्वयं सत्यापित धर्म प्रमाण पत्र।
III. शिक्षा ऋणों के मामले में पिछले वर्ष की स्वयं सत्यापित अंक तालिका।
IV. परियोजना रिपोर्ट यदि ऋण राशि 1 लाख रु.से ज्यादा है तो छोटी सी परियोजना रिपोर्ट।
V. आवेदन जमा करना: पूरी तरह भरा हुआ आवेदन फार्म जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय / एससीए के प्रधान कार्यालय / केनरा बैंक व पंजाब ग्रामीण बैंक की शाखा में जमा कराएं।

2.

आवेदन जमा करना

पूरी तरह भरा हुआ आवेदन फार्म जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय / एससीए के प्रधान कार्यालय / केनरा बैंक व पंजाब ग्रामीण बैंक की शाखा में जमा कराएं।

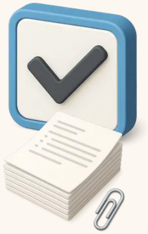

ऋण का संवितरण

3.

(क). ऋण मंजूरी की सूचना आवेदक को दी जाएगी।
(ख). ऋण संबंधी दस्तावेजों में दिए जाने वाले कागजात इस प्रकार है-

I. आधार कार्ड/केवाईसी से जुड़ा बचत बैंक खाता खोलना।
II. लाभार्थी को स्थानीय राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी / केनरा बैंक/ पंजाब ग्रामीण बैंक शाखा द्वारा तय की गई गांरटी देनी होगी।
III. ऋण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जारी किया जाएगा।
IV. लोन मिलने के एक महीने के भीतर लाभार्थी को परिसंपत्तियों की खरीद करनी होगी और अपना व्यवसाय शुरू करना होगा।

ऋण की वापसी

4.

(क). संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एससीए) / केनरा बैंक/ पंजाब ग्रामीण बैंक शाखा द्वारा ऋण वापस करने की दी गई सारणी के अनुसार, ऋण की अदायगी मासिक / तिमाही आधार पर 5 साल में की जाएगी।
(ख). लाभार्थी को ऋण वापस करने के लिए बकायदा एससीए / केनरा बैंक/ पंजाब ग्रामीण बैंक के बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा।
(ग). ऋण की अदायगी सीधे एससीए/ केनरा बैंक/ पंजाब ग्रामीण बैंक के बैंक खाते में की जाएगी।
(घ). ऋण चुकाने के बाद लाभार्थी को कोई ऋण बकाया नहीं (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) / ऋण समाप्ति प्रमाण पत्र (लोन क्लोजर सर्टिफिकेट) लेना होगा।

एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के नाम एवं पते

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम

डोर नं. 39-3-1, तीसरी मंजिल, अन्जेनईया ज्वैलर्स बिल्डिंग, लब्बीपेट, एम जी रोड, विजयवाड़ा-520010
टेलिफोन नं. 0866-2498575, 2498576

असम

असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड

आर.जी.बी. रोड, गणेशगुरी के पास, दिसपुर-781006

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड

डी सेक्टर, एपेक्स बैंक बिल्डिंग, नहरलागुन,
पापुमपारे जिला-791110

बिहार

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम

हज भवन, पहली मंजिल, 34 हार्डिंग रोड, अली इमाम पथ, पटना-800001
टेलिफोन नं. 0612-2204975, 2215994

चंडीगढ़

चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम

एडिशनल टाउन हॉल बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-सी,
चंडीगढ़-160017
टेलिफोन नं. 0172-2701449, 2700094

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

सैक्टर-24, दूसरी मंजिल, ट्राईबल रिसर्च एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़-492109
टेलिफोन नं :0771-2972124, 2972730, 2972735

दिल्ली

दिल्ली अजा/जजा/अपिव/अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम

अम्बेडकर भवन, सेक्टर-16, रोहिणी,
दिल्ली-110085
टेलिफोन नं.: 011-27572692, 27570627

गुजरात

गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

दूसरी मंजिल, ब्लॉक सं. 11, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर-382010
टेलिफोन नं. 079-23254583, 23253757, 23253375

गोवा

गोवा राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वैलफेयर के पास, फार्मोइका सालसेट के सामने, 18 जून रोड, पणजी, तिस्वाड़ी,
उत्तरी गोवा, गोवा-403001

हरियाणा

हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग कल्याण निगम

एससीओ 813-814, सेक्टर 22-ए,
चंडीगढ़-160022
टेलिफोन नं. 0172-2701074

मेवात विकास एजेंसी

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, तोरू रोड नूह,
जिला मेवात, हरियाणा-122107,
टेलिफोन नं. 01267-271461, 271179

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

एसडीए कॉपलेक्स, ब्लॉक सं. 38. पहली मंजिल, कसुमपति, शिमला-171009
टेलिफोन नं. 0177-2622164

जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश

जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम

(मई से अक्तूबर)
एसडीए कॉलोनी, बेमिना,
श्रीनगर-190018
टेलिफोन नं.: 0194-2506684-85

(नवंबर से अप्रैल)
हॉल नं.6-बी, दूसरी मंजिल, एक्वाफ कॉपलेक्स, गाँधी नगर,
जम्मू (जे एंड के)-180004
टेलीफोन नं. 0191-2430321, 2439370

जे एण्ड के अ.जा./ज.जा. एवं पि.व. विकास निगम

(मई से अक्तूबर)
रेड क्रॉस कार्यालय के पास, एक्सचेंज रोड,
श्रीनगर-190001
टेलिफोन नं. 0194-2481988

(नवंबर से अप्रैल)
लोअर मुठी, जेडीए फ्लैट्स के सामने,
जम्मू-181205
टेलिफोन नं. 0191-2433229, 2451762, 2452009

जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख वित्त निगम

(मई से अक्तूबर)
एसएफसी हाऊस, दुर्गानाग,
श्रीनगर-190001
टेलिफोन नं. 0194-2500716, 2500606, 2500592, 2501734

(नवंबर से अप्रैल)
सहकारी भवन रेल हेड कॉपलेक्स,
जम्मू-180012
टेलिफोन नं- 0191-2470772, 2476465, 2475581

सिंधु अवसंरचना विकास निगम (सिडको)

सिडको कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, लेह, लद्दाख - 194101
टेलिफोन नं. 01982-252163

झारखंड

झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

पहली मंजिल, कल्याण कॉम्पलेक्स,बलिहर रोड, मोरादाबादी, रांची -834008
टेलिफोन नं. 0651-2552055

केरल

केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम

टी.सी. नंबर 27/588 (7) एवं (8) "सेंटिनेल" दूसरी मंजिल, पटूर, वंचियूर पी.ओ. तिरुवनंतपुरम-695035
टेलिफोन नं. 0471-2577550, 2577539, 2577540

केरल राज्य महिला विकास निगम

पहली मंजिल, ट्रांसपोर्ट भवन, पी.ओ.. पूर्वी किला, अट्टाकुलंगरा, तिरुवनंतपुरम-695023
टेलिफोन नं. 0471-2727668, 2454585

केरल राज्य मत्स्य विकास सहकारी संघ

कमलेश्वरन, मानाकोड, पी.ओ. तिरुवनंतपुरम-695009
टेलिफोन नं. 0471-2457172, 2457756, 2458606

केरल राज्य अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम

1/1170 ए. भूतल, केयूआरडीएफसी बिल्डिंग, चक्कोरथकुलम, वेस्ट हिल पी. ओ.. कोझिकोड-673005
टेलिफोन नं. 0495-2369366

केरल हस्तशिल्प विकास निगम (एचडीसीके)

पी.बी. नं. 171, एसएमएसएम इंस्टीट्यूट कंपाउंड, प्रेस रोड, पुथेन्चंथाई पीओ, तिरुवनंतपुरम, केरल - 695001
टेलिफोन नं. 0471-2778400

कर्नाटक

कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम

नंबर 39-821, दूसरी मंजिल, केएमडीसी भवन, सूबेधर छत्रम रोड, शेषाद्रीपुरम, बेंगलुरु-560020
टेलिफोन नं. 080-22861226, 22860999

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

राजीव गांधी भवन, परिसर-2, पहली मंजिल, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002
टेलिफोन नं. 0755-2660209

महाराष्ट्र

मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम

डीडीए बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, ओल्ड कस्टम हाउस, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400023
टेलिफोन नं. 022-22672293, 22653080

मणिपुर

मणिपुर अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास सोसायटी

ओल्ड हाई कोर्ट कॉपलेक्स, नॉर्थ एओसी, इम्फाल-795001
टेलिफोन नं. 0385-2452481

मेघालय

मेघालय औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी)

किस्मत अपलैंड रोड, लैतुमखराह,
शिलांग-793003
टेलिफोन नं. 0364-2223458, 2507414

मिजोरम

मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक लि.

टुईकुअल साउथ, आईजोल टेनिस कोर्ट के पास,
आईजोल-796001
टेलिफोन नं. 0389-2312307, 2322744, 2327514, 2323045

जोरम अवससंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम

मिजोरम न्यू केपिटल कॉम्पलेक्स,
(एमआईएनइसीओ), खाटला,
आईजोल, पी. बॉक्स-125,
मिजोरम-796001
टेलिफोन नं. 0389-2310190, 2333217

नागालैंड

नागालैंड औद्योगिक विकास निगम

आईडीसी हाऊस, पी.बी. सं. 5.
दिमापुर-797112
टेलिफोन नं. 03862-230571-74

नागालैंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम

पी.बी. सं. 31, हाफ नागाराजन,
दिमापुर-797112
टेलिफोन नं. 03862-224591

नागालैंड राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड

न्यू सेक्रेटेरिएट कांपलेक्स,
कोहिमा-797001
नागालैंड
टेलिफोन नं. 0370-2270310

ओडिशा

ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त विकास सहकारी निगम

क्वाटर नं. ए/6. यूनिट -5, राजीव भवन के पास
भुवनेश्वर-751001,
टेलिफोन नं. 0674-2391061

पुडुचेरी

पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास निगम

नंबर 1,VIII क्रॉस, अन्ना नगर,
नेलिथोप,
पुडुचेरी -605005
टेलिफोन नं.- 0413-2244145

पंजाब

पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग भूमि विकास एवं वित्त निगम

एससीओ सं. 60-61, सेक्टर 17-ए,
चंडीगढ़-160017
टेलिफोन नं. 0172-2709261

राजस्थान

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम

डा. राधाकृष्णन शिक्षा शंकुल परिसर,
मदरसा बोर्ड बिल्डिंग, तीसरी मंजिल,
जे. एल. एन . मार्ग,
जयपुर-302015
टेलिफोन नं. 0141-2700201

सिक्किम

सिक्किम अजा/जजा/अपिव विकास निगम

सोनम शेरिंग मार्ग,
गंगटोक-737101

तमिलनाडु

तमिलनाडु अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम

कलस महल, हेरिटेज बिल्डिंग,
पहली मंजिल, चेपॉक,
चेन्नई- 600005
टेलिफोन नं. 044-28514846

त्रिपुरा

त्रिपुरा अल्पसंख्यक सहकारी विकास निगम

पी.ओ लेक चौमुहानी, अगरत्तला
वेस्ट त्रिपुरा-799001
टेलिफोन नं. 0381-2300083, 2328232, 2326512

उत्तर प्रदेश

यू.पी. अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम

746, 7वीं मंजिल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ-226001
टेलिफोन नं: 0522-2286158, 2286854, 2287213

उत्तराखंड

उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी,
अधोईवाला,
देहरादून-248001
टेलिफोन नं. 0135-2788723

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

'अंबेर , डीडी-27/ई , सैक्टर-1 , सॉल्ट लेक सिटी,
कोलकाता-700064
टेलिफोन नं. 033-23210901, 23210902

केनरा बैंक व पंजाब ग्रामीण बैंक

एनएमडीएफसी योजना के तहत (पुनर्वित के माध्यम से) ऋण लेने के इच्छुक आवेदक, केनरा बैंक या पंजाब ग्रामीण बैंक की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकते हैं। (केनरा बैंक के संदर्भ में परिपत्र संख्या 587/2021)

एनएमडीएफसी की उपलब्धियां

लाभार्थियों का लिंग-वार विवरण

महिलाएं 89.93 प्रतिशत

पुरूष 10.07 प्रतिशत

क्षेत्रवॉर भौगोलिक संवितरण

ग्रामीण क्षेत्र में 89.45 प्रतिशत

शहरी क्षेत्र में 10.55 प्रतिशत

संचयी ऋण संवितरण

करोड़ रु. में संचयी ऋण संवितरण

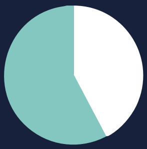

सावधि ऋण
5680.02

सूक्ष्म वित्त
4199.77

लाभार्थियों की संख्या

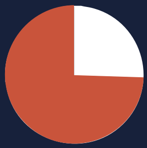

सावधि ऋण
6.71 Lakhs

सूक्ष्म वित्त
19.79 Lakhs

आरंभ से अब तक (31.07.2025 तक) कुल

9879.80 करोड़ रु.
की राशि संवितरित की गई है,

जिससे **26.50 लाख**
से अधिक लाभार्थियों को सहायता मिली है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

प्रथम तल, कोर 1. स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
Ph.: 011-22441441, 22040670, 22441444 एवं 22441452
विवरण के लिए कृपया संपर्क करें: www.nmdfc.org
टोल फ्री नम्बर: 14402 NMDFC मोबाइल ऐप.
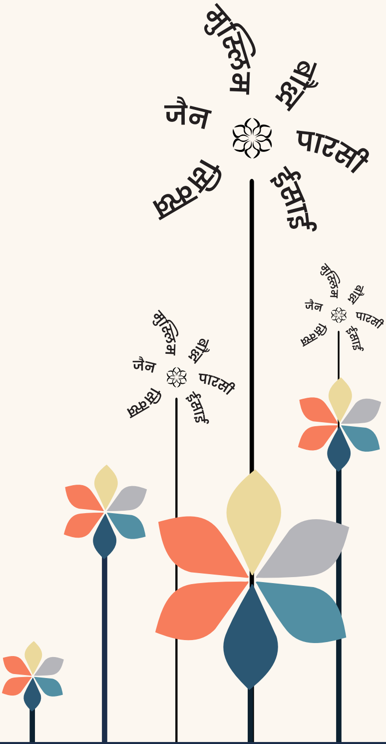
आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम